भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2131

14 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"केंद्र सरकार के विभागों में विद्युत वाहन"

2131. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के विभागों में विद्युत वाहनों के उपयोग के लिए कोई अनुदेश या सलाह जारी की गई है/जारी की जाएगी:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत वर्ष के दौरान सरकारी विभागों में खरीदे और उपयोग किए गए विद्युत वाहनों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(घ) आगामी दो वर्षों के दौरान कितने नए विद्युत वाहन खरीदे जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार द्वारा विद्युत वाहनों की खरीद के लिए दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को दिल्ली स्थित अपने सचिवालयों और संबद्ध कार्यालयों में किराए पर ली गई पेट्रोल और डीजल कारों के स्थान पर इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग के लिए लिखा है।

(ग): वर्तमान में, भारी उद्योग मंत्रालय ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से 05 इलेक्ट्रिक वाहन किराए पर लिए हैं।

(घ): भारी उद्योग मंत्रालय में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): भारी उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन स्कीमों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों और विनिर्माताओं को आर्थिक प्रोत्साहन दिया है:

i. **भारत में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया):** सरकार ने शुरू में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ अधिसूचित किया है। फेम-इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम कटौती के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से जुड़ा है यानी ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों के

लिए वाहन लागत की 20% की सीमा के साथ 10,000/किलोवाट घंटा। इसके अलावा, 11 जून, 2021 से वाहन लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए ई-दुपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन/सब्सिडी को 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटा कर दिया है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी। इस पीएलआई स्कीम में इलेक्ट्रिक वाहन कवर किए गए हैं।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम :** सरकार ने देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम में देश में 30 गीगावाट घंटे की एक प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम में 5 गीगावाट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी कवर किया गया है।

****